

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

बं० 40] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 1983/माघ 11, 1904
No. 40] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 1983/MAGHA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

शीर्षक-पत्र

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1983

का. आ. 85(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उप-
खण्ड (ii), तारीख 20 दिसम्बर, 1982 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त
मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 854(अ),
तारीख 20 दिसम्बर, 1982 में, "टिजाइन" शीर्षक के नीचे उप-शीर्षक,
"एक सौ रुपये", "दस रुपये", "दो रुपये", और "पचास पैसे", में से

प्रत्येक मास के नीचे सम्बद्ध सिक्के के "पृष्ठ भाग", से सम्बन्धित पैरा 2 के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

‘दायें निम्न भाग में वर्ष “1982” दर्शित किया जाएगा’ ।

[सं. फा. 1/2/(2)/82-व्यायम]

सी. जी. पाथरोज, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th January, 1983

S.O. 55(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 854(E), dated the 20th December, 1982, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th December, 1982, below the heading “DESIGNS”, under each of the sub-headings “ONE HUNDRED RUPEES”, “TEN RUPEES”, “TWO RUPEES” and “FIFTY PAISE”, in the second paragraph relating to “Reverse” face of the coin concerned, add the following sentence at the end, namely :—

‘The year “1982” shall be shown in the right lower periphery’.

[No. F. 1/2/(H)/82-Coin]

C. G. PATHROSE, Under Secy.